upload

प्रैसनोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, ने विकास अधिकारी, लेखाधिकारी, स्वास्थ्य निरीक्षक, एएसआई, आबकारी निरीक्षक, आबकारी कानिंस्टेबल एवं पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

जयपुर, 2 अगस्त। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी के निर्देशन में पिछले तीन दिवसो में राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर एसीबी की टीमों द्वारा कुल 7 ट्रैप कार्यवाही की गई।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी ने बताया कि भीलवाड़ा एसीबी द्वारा ग्राम विकास अधिकारी दिनेश कुमार को 50 हजार रूपयें की रिश्वत लेते, बांरा एसीबी द्वारा अधिशाषी अभियंता कार्यालय बारां (पीएचईडी) के लेखाकार शम्भुदयाल को 3 हजार रूपयें की रिश्वत लेतें, बांसवाड़ा एसीबी द्वारा नगर परिषद बांसवाड़ा में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक को 10 हजार रूपयें की रिश्वत लेते, जोधपुर एसीबी द्वारा आबकारी थाना, ओसिया में कार्यरत आबकारी निरीक्षक मूमल बूब एवं कानिस्टेंबल जोगेंन्द्र सिंह को 30 हजार रूपये की रिश्वत लेते, एसीबी मुख्यालय स्पेशल यूनिट द्वारा सीकर जिले के पाटन पुलिस थाने के एएसआई अशोक कुमार रेगर को 35 सौ रूपये की रिश्वत लेते, भीलवाड़ा एसीबी द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति सिदड़ियास के व्यवस्थापक नितिन पारीक को 25 हजार रूपये की रिश्वत लेते एवं अलवर एसीबी द्वारा तिजारा पटवार हल्का महेशरा के पटवारी सुमन कुमारी को 91 हजार रूपयें की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

श्री त्रिपाठी ने बताया कि एसीबी द्वारा की गई ट्रैप कार्यवाही निम्नाकिंत है–

1 .भीलवाड़ा जिले के आसीन्द पंचायत सिमिति के ग्रांम पंचायत किडिमाल में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी से ग्राम पंचायत में कराये गयें निमार्ण कार्यो के बिल पास करने के एवज में 50

हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग की गयी जिस पर भीलवाड़ा एसीबी टीम द्वारा ट्रैप कार्यवाही की गयी।

2. अधिशाषी अभिंयता कार्यालय पीएचईडी बारां में कार्यरत लेखाकार शम्भुदयाल द्वारा परिवादी से उसकी फर्म द्वारा पीएचईडी में किये गयें कार्यो के एवज में फर्म द्वारा दी गयी धरोहर राशि लगभग 3 लाख रूपयें का भुगतान करने की एवज में 3 हजार रूपयें की रिश्वत की राशि की मांग की।

3. बांसवाड़ा नगर परिषद में कार्यरत स्वास्थ्य निरीक्षक, जाहिद द्वारा परिवादी के पुराने मकाने की रिपेयरिंग व मरम्मत कार्य करवाये जाने पर उसे यह कहकर धमकाना की अवैध एवं बिना निमार्ण स्वीकृति कार्य किया जा रहा है इसके लिए परिवादी से 25 हजार रूपये की रिश्वत की मांग की गयी।

4. जोधपुर जिले के ओसिया आबाकरी थाने में कार्यरत आबकारी निरीक्षक मूमल बूब एवं कानिस्टेंबल जोगेंन्द्र द्वारा परिवादी से उसकी तीन शराब की दुकानों को चलाने के लिए मासिक बन्दी के रूप में 47 हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग की गयी।

5. सीकर जिले के पाटन पुलिस थाने में चौकी डाबला पर कार्यरत एएसआई द्वारा परिवादी की पुत्री का नाम मारपीट के क्रॉस मुकदमें में से हटाने की एवज में 7 हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग की गयी।

6. भीलवाड़ा जिलें के ग्राम सेवा सहकारी समिति सिदडियास के व्यवस्थापक नितिन पारीक द्वारा परिवादी से उसके पिता की मृत्यु होने के पश्चात् सहकारी समिति कि तरफ से 50 हजार रूपये की बीमा राशि मिलने वाली थी जिसे पास करने के एवज में 25 हजार रूपये की रिश्वत की राशि की मांग की।

7. अलवर जिले के तिजारा तहसील के पटवार हल्का महेशरा में कार्यरत पटवारी सुमन कुमारी द्वारा परिवादी सें उसके द्वारा प्रस्तुत 43 रजिस्ट्रयों का नामांतकरण राजस्व रिर्पोट में दर्ज करने के एवज में प्रति रजिस्ट्री 12 हजार रूपये रिश्वत की राशि की मांग की गयी।